

प्रारूप-3  
भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना का नाम — जनपद पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला से चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग का निर्माण।

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| (i) राज्य / संघराज्य क्षेत्र  | - उत्तराखण्ड।                      |
| (ii) जिला   | - पिथौरागढ़।                       |
| (iii) जिला वन प्रभाग  | - पिथौरागढ़।                       |
| (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र | - 0.77 हेक्टर भूमि।                |
| 17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः              | - सिविल कॉन्सल्टेंट्स वन वन पंचापत |
| 18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:     | - संलग्न है।                       |

(i) वन का प्रकार

सिविल कॉन्सल्टेंट्स वन वन पंचापत

: 2

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परियोजना — संलग्न है। शुक्र उमा वन वन पंचापत

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

संलग्न है।

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और शैंक्षिक विवरण

शुक्र उमा वन वन पंचापत

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी

— 0.00 किमी।

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वता :

शुक्र उमा वन वन पंचापत

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा :

लोक वन

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण भारत वन वन पंचापत

करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) — नहीं।

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) — नहीं।

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्तरवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) — नहीं।

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे — नहीं।

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातात्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संरमारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए संवाद प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) — नहीं।

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विरतार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें : कोलग वन पंचापत